



राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग

कमरा नम्बर 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
0141-2227897(O) 0141-2227650(Fax)

E-mail:-rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in Website- www.sainikkalyan.rajasthan.gov.in

क्रमांक :प.18(नीति)सै.क.वि./2023/8 051-74

जयपुर, दिनांक : 18 जुलाई, 2023

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,
समस्त (राज0)

विषय:-माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष-2023-24 की बजट घोषणा संख्या 362 की क्रियांविति बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष-2023-24 की बजट घोषणा संख्या 362 की क्रियांविति हेतु शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या प.2(1)सै.क./2022 दिनांक 11.07.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) एवं तटरक्षक मेडल (वीरता) पदक धारकों को दिनांक 26.01.1990 से राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल करते हुए निम्नलिखित राशि व अनुदान दिये जायेंगे :-

क्रम संख्या	पदक का नाम	नकद राशि	भूमि या भूमि की एवज में राशि
1.	राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता)	6.00 लाख रुपये	25 बीघा सिंचित भूमि या 25.00 लाख रुपये भूमि की एवज में ।
2.	तटरक्षक मेडल (वीरता)	0.30 लाख रुपये	25 बीघा सिंचित भूमि या 25.00 लाख रुपये भूमि की एवज में ।

भवदीय,

V Rathore

ब्रिगेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (से.नि.)
निदेशक

तिलिपि :-

सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-4, विंग-5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को सूचनार्थ प्रेषित है ।

Department of Ex-servicemen Welfare, Government of India, Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi-11 — सूचनार्थ प्रेषित है ।

Director General of Indian Coast Guards, National Stadium Complex, India Gate, New Delhi, Delhi 110001 — राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शौर्य पदक धारकों को देय सुविधा का निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति व इसके साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न कर लेख है कि इन्हें लाभार्थियों से भरवाया जाकर आपके मुख्यालय से प्रतिहस्ताक्षर करवाये जाकर तीन सैट बनाकर संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें ।